लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/समन्वय/2019/133 भोपाल, दिनांक 20/08/19

प्रति,

संभाग आयुक्त (राजस्व)
नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद,
मध्यप्रदेश।

विषयः— दिनांक 26.08.2019 को नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने विषयक।

विषयान्तर्गत दिनांक 26.08.2019 को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे संभागायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। समीक्षा बैठक का ऐजेन्डा संलग्न है। कृपया इस समीक्षा बैठक में नर्मदापुरम संभाग के समस्त जिलों के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को एजेन्डा अनुसार जानकारी के साथ उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। इस बैठक में संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त डाईट प्राचार्य, जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) भी उपस्थित रहेगें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20/08/19

पृ.क्रमांक/समन्वय/2019/134
प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
4. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक (द्वैय) लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर जिला—होशंगाबाद, हरदा, बैतुल मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—होशंगाबाद, बैतुल, हरदा मध्यप्रदेश।
7. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने संभागान्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त डाईट प्राचार्य, समस्त जिला परियोजना समन्वयक, ए.डी.पी.सी (आर.एम.एस.ए.) की उपस्थिति उक्त बैठक मे सुनिश्चित करते हुए बैठक की समुचित व्यवस्था भी करें।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

संभागीय समीक्षा बैठक होशंगाबाद –दिनांक 26.8.2019

एजेंडा बिन्दु

1. नामांकन
2. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार
   - दक्षता उन्नयन, ब्रिज कोर्स, कॉपी चेकिंग
   - 0 से 30 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाली शालाओं की मॉनिटरिंग
   - शाला में शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थिति
   - मिशन 1000
   - शाला सिद्धि
3. कक्षा 5 एवे 8 के लिए वार्षिक परीक्षा
4. मॉनिटरिंग –एक परिसर एक शाला, शाला दर्पण, शाला एवं छात्रावास मॉनिटरिंग
5. अध्यापकों की सेवापुस्तिका सत्यापन एवं वेतन निर्धारण
6. निर्माण कार्य हेतु भूमि चिन्हांकन
7. स्थानांतरण – कार्यमुक्ति, कार्यभार ग्रहण